पत्रांक-जी0एस0टी0/2024-25/फा0नं0 509/ 70 /राज्य कर

कार्यालय: आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक: 15 अप्रैल, 2024

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, आयुक्त, उत्तर प्रदेश राज्य की अधिसूचना संख्या जी0एस0टी0-2021-22/फा0 नं0 509/57/वाणिज्य कर दिनांक 24.11.2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, दूसरे परंतुक के बाद,निम्न परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा,अर्थात्-

"परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं,जो उक्त उपधारा के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से भिन्न है,के लिए माह अप्रैल 2024 की कर अवधि के लिए उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति के ब्यौरों को प्रस्तुत करने की समय सीमा को अप्रैल, 2024 माह के बारहवें दिन तक बढ़ाया जाता है।"

2. यह अधिसूचना 11 अप्रैल, 2024 से प्रभावी मानी जाएगी।

आज्ञा से,

15/4/24

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।